न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 02/2026 (GCMS: 2026/30)

दर्शन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह उम्र 65 वर्ष निवासी चक 23 एलएनपी (लाधुवाला) तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

हरदीप सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति रामदासिया निवासी चक 23 एलएनपी (लाधुवाला) तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दर्शन सिंह को बार–बार आवाज़ लागई गई, परन्तु वे उपस्थित नही हए। अप्रार्थी हरदीप सिंह उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि

प्रार्थी जो 65 वर्षीय अनपढ़ एवं वृद्ध व्यक्ति है और चक 23 एलएनपी में निवास करता है प्रार्थी के पास आय का कोई साधन नहीं है। प्रार्थी सारी उम्र मजदूरी करके उसकी कमाई से चक 23 एलएनपी में एक मकान भूखण्ड संख्या 23 साईज 44 गुणा 60 फुट बनाया था। उक्त माकन में प्रार्थी, प्रार्थी की पत्नी अमरजीत कौर एवं दो पुत्र हरदीप सिंह एवं मनदीप सिंह रह रहे है। प्रार्थी के दोनों पुत्रों की शादी हो चुकी है और उक्त दोनों पुत्र अपने परिवार के साथ उक्त मकान में रहते है। प्रार्थी के दोनो पुत्र उक्त मकान का बंटवारा करवाने के लिए प्रार्थी पर दबाव बनाते रहते है। प्रार्थी अपने दोनों पुत्रों से यह कहता रहा कि जब तक जीवित है उक्त मकान का बंटवारा नहीं करेगा चूकि उक्त मकान का बंटवारा कर तुम दोनों को दे दिया तो तुम दोनों बाद में हमे घर से निकाल सकते हों। इस प्रर अप्रार्थीगण ने कहा कि आप ही घर के मालिक रहेगें। हम दोनों आपकी सेवा करेंगे और आपका भरण पोषण करते रहेगें। किन्तु अपने दोनों पुत्रों के दबाव एवं प्रभाव में आकर [illegible] 3.02.2023 उक्त प्लॉट संख्या 23 का एक भाग साईज 22 गुणा 60 फुट का उपहार विलेख अपने पुत्र अप्रार्थी हरदीप सिंह के पक्ष में [illegible] श्रीगंगानगर में करवा दिया। रजिस्ट्री करवाने के बाद अप्रार्थी हरदीप [illegible] अपने वायदों से मुकरने

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लगा और प्रार्थी को भोजन वगैरहा देने से मना करने लगा। इस पर प्रार्थी ने गांव में पंचायत की और पंचायत में बताया कि हरदीप सिंह मुझे खाना भी नहीं नेता है और मेरे का मकान से निकलने का कह रहा है। इस पर पंचायत ने अप्रार्थी हरदीप सिंह को फटकार लगाई तो अप्रार्थी कुछ दिन तक शांत रहा। अप्रार्थी हरदीप सिंह प्रार्थी और उसकी पत्नी गम्भीर रूप से चोटे कारित कर सकता है। हरदीप सिंह मासिक आय करब 60,000 / – रूपये है। हरदीप सिंह बडे बड़े ठेके लेता है। अप्रार्थी हरदीप सिंह को प्लॉट संख्या 23 के आधे हिस्से 20 गुणा 60 फुट की उपहार रजिस्ट्री दिनांक 13.02.2023 को शुन्य घोषित करने तथा भूखण्ड संख्य 23 का आधा भाग पुनः प्रार्थी के नाम से किये नाम से किये जाने और प्रार्थी की पत्नी को 20,000 / – प्रतिमाह हरदीप सिंह से दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी ने कथन किया कि अपीलान्ट का चक 23 एल एन पी में एक पैतृक प्लाट साईज 44 गुणा 60 फुट का जिसमें दो कच्चे पक्के कमरे निर्माणाधीन थे। अपीलान्ट द्वारा अपने दोनों विवाहित पुत्रों क्रमशः मनदीप सिंह व हरदीप सिंह ने अपनी स्वेच्छा से बंटवारानामा कर दिया है और छोटा पुत्र हरदीप सिंह अपीलान्ट के साथ अपने हिस्सा में आये पैतृक प्लाट में निवास कर रहा है। उक्त दोनों पुत्रों को अपने उक्त प्लाट का बंटवारा अपनी स्वेच्छा सहमति व बिना किसी दबाव के कर दिया था ताकि अपीलान्ट की मृत्यु के उपरान्त प्लाट को लेकर अपीलान्ट के वारिसों के मध्य कोई विवाद व लड़ाई झगड़ा न रहे।

अपीलान्ट का बड़ा पुत्र मनदीप सिंह पिछले कई वर्षों से गांव दुल्लापुर केरी में अपने परिवार सहित निवास कर रहा है और मनदीप सिंह द्वारा उक्त प्लाट में से अपना हिस्सा प्राप्त किया हुआ है।

अप्रार्थी के द्वारा अपनी स्वयं की आय से अपने हिस्से में आये प्लॉट साईज 22 गुणा 60 फुट में नवनिर्मित मकान तैयार करवाया। उक्त नवनिर्मित मकान में जो भी खर्चा आया है वह अप्रार्थी ने [illegible] किया है।

अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ अदालत में दिये गये [illegible] पत्र वर्णित तथ्यों में लिखा है कि अगर उक्त मकान का बंटवारा तुम दोनों कर दिया तो तुम दोनों पुत्र मुझे व मेरी पत्नी को इस घर से निकाल सकते हो। उस स्थिति में मैं व

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मेरी पत्नी कहां पर जायेंगे जबकि वास्तविकता यह है कि पूर्व में भी उसके द्वारा अपने माता पिता को अपने साथ रखा और वर्तमान में भी अपने साथ राजी खुशी रखते हुए उनकी देखभाल, सार संभाल करता आ रहा है, किन्तु अपीलान्ट के बड़े पुत्र का नैतिक दायित्व अपने माता पिता की देखभाल, सार संभाल, भरण पोषण करने का था जो इससे विमुख होकर अपने हिस्से में आये मकान के मध्य में दीवार निकालकर गांव दुल्लापुर केरी में निवासरत है।

उक्त प्लाट जो मेरे हिस्से में आया उसटकी रजिस्ट्री अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13–02–2023 को जरिये उपहार विलेख अपने पुत्र हरदीप सिंह / रेस्पोडेंट के पक्ष में उपपंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर में अपनी स्वेच्छा से करवाई थी।

अपीलान्ट द्वारा मेरे पर बात बात में अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करना व भोजन आदि न देना और मकान खाली करके उसे बेचने का जो मिथ्या आरोप लगाया है वह सरासर झूठा व मनगढन्त है अगर मेरी ऐसी कोई मन्शा होती तो आज तक उक्त मकान विक्रय कर देता। इसके बावजूद भी मैं, अपनी माता पिता की पूरी देखभाल, सार संभाल कर रहा है।

अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ अदालत को भी झूठे व मनगढन्त तथ्य पेश कर गुमराह किया गया। अपीलान्ट ने मात्र अपने पुत्र हरदीप सिंह / रेस्पोडेंट पर, अपने बड़े पुत्र मनदीप सिंह व अपने साले के पुत्र जसदीप सिहं की बातों में आकर भरण पोषण न करने का झूठा आरोप लगा रहा है। मेरी माता वर्तमान में मेरे साथ रह रही है और अधिनस्थ अदालत में मेरी माता द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपीलान्ट के खिलाफ साक्ष्य दी थी और कहा था कि मेरा पति मेरे बड़े पुत्र व मेरे भतीजे के बहकावे में आकर मेरे छोटे पुत्र को तंग परेशान कर रहा है। जबकि मेरा छोटा पुत्र ही हम दोनों की देखभाल और सार संभाल करता आ रहा है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

मैनें, अप्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन कया तो पाया कि अपीलार्थी ने [illegible] 21, 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण [illegible] अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण में निवेदन [illegible] उपहार रजिस्ट्री दिनांक 13.02.223 को शून्य घोषित करने एवं [illegible] पोषण के रूप में 20,000 / – प्रतिमाह दिलाये जाने की प्रार्थना करने पर, उपखण्ड अधिकारी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर ने दिनांक 03.12.2025 को निर्णय पारित कर निम्न आदेश दिया गया था:

> चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का पुत्र है। अतः प्रार्थी का पुत्र होने के कारण उनका दायित्व बनात है कि वह प्रार्थी का भरण पोषण करें। अतः माता पिता एवं वरिष्ठ नगारिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9 के अन्तर्गत आदेश दिया जाता है कि अतः अप्रार्थी, प्रार्थी को उसकी जरूरत के हिसाब से एवं उसके भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए दिसम्बर 2025 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व 5000/– रूपये अखरे रूपये पांच हजार प्रार्थीगण को अदा करेगा। उक्त राशि अप्रार्थी को प्रार्थी के बैक खाते में जमा करवानी होगी। जिसके लिए प्रार्थी अपना बैंक खाता अप्रार्थी के अपने स्तर से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेगा। अप्रार्थी, प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें, प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने एवं प्रार्थी को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 03.12.2025 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार कर मकान का कब्जा दिलवाने एवं 20,000/– रूपये भरण पोषण की मांग की है।

जहां तक मकान का कब्जा वापिस दिलवाने का प्रश्न है, जिसे प्रार्थी ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत प्लॉट संख्या 23 के आधे हिस्से 20 गुणा 60 फुट की उपहार रजिस्ट्री दिनांक 13.02.2023 को शून्य घोषित किये जाकर उक्त प्लॉट संख्या 23 का आधा भाग पुनः प्रार्थी के नाम रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की मांग की है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2(ख) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत भरण पोषण के तहत भोजन, कपडे, निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है। अपीलार्थी माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उक्त सम्पत्ति के विवाद के लिए किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं कर सकते है। अपीलार्थी **उक्त सम्पत्ति के विवाद हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी / अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।**

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थीगण भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्रों से भरण पोषण का हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :

4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–

(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–
  (i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।
  (ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसी सीमा तक होगा जिससे ऐसे माता या दोनो, यथास्थिति, की आवश्यकता हो जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:48 IST
Reason: SeriAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> **है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगा:**
>
> **परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।**

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से **स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है।** माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का **भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 9(2)** निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> 9. **भरण पोषण हेतु आदेश : (1)** यदि सन्तान या सम्बन्धी, जैसी स्थिति हो, वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं का भरण पोषण करने से उपेक्षा करने में असमर्थ है, भरण–पोषण करने से उपेक्षा करता है या नामंजूर करता है तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या नामंजूरी से समाधान होने पर, ऐसी सन्तानों या सम्बन्धियों को ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता, जैसा कि अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को उसका भुगतान करने हेतु आदेश दे सकेगा, जैसा कि अधिकरण समय–समय से निर्देश दे।
>
> **(2) अधिकतम भरण पोषण भत्ता, जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जा सकेगा, ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, जो प्रतिमास दस हजार रूपये से अधिक नहीं होगा।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:48 IST
Reason: SelfAttested

उक्त अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार [illegible] संतानों से 10,000/– तक भरण पोषण [illegible] है। अपीलार्थी दर्शन सिंह की कुल 02 पुत्र है, जिसमें अपीलार्थी ने अपने एक [illegible] मनदीप सिंह को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

03.02.2026 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित भरण पोषण / गुजारा भत्ता बढाये जाने की मांग भी की है। **माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए** अप्रार्थी का अपीलार्थी के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है। इसलिए अपीलार्थी के पुत्र रेस्पोडेंट हरदीप सिंह को आदेशित किया जाता है कि वह 5000 / – प्रतिमाह अपीलार्थी के बैंक खाते में जमा करवायेगे। अपीलार्थी का पुत्र उक्त राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व अपीलार्थी खाते में जमा करवायेगें। अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह **प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा अपीलार्थी को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे। अप्रार्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थिया को मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान न करें, अपशब्द न कहें, अच्छा व्यवहार करें और नम्रता से पेश आयें।**

अतः उक्त विवेचन एवं कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती हैं। **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का आदेश यथावत् रखा जाता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भी भेजी जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक **15.05.2026 को** मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:48 IST
Reason: SelfAttested